उपायुक्त का कार्यालय (जिला पंचायत शाखा), गिरिडीह ।

14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के लिये लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1453/पं0 दिनांक 03.05.2016 के द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गिरिडीह जिले के सभी ग्राम पंचायतों के लिए 119(प्रत्येक तीन पंचायत पर एक के दर से) लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित किया गया है, जिनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है । विभागीय अधिसूचना सं. 689 दिनांक 26.02.2016 के द्वारा 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के 10 प्रतिशत राशि से ग्राम पंचायतों के लिये संविदा पर नियुक्त होने वाले लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए मासिक मानदेय निम्नवत निर्धारित की गई है:–

क0	पद का नाम	मासिक मानदेय
1	*2*	*3*
1	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	**10,000/-**

सृजित पद के विरूद्ध लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के 10(दस) पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति हेतु निम्न शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

(1) लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर :

क–आरक्षण :

कुल पदों की सं.	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पदों की सं.	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों की सं.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों की सं.	पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों की सं.	अनारक्षित पदों की सं.
10	02	08	00	00	00

ख–शैक्षणिक योग्यता :

(i) अनिवार्य योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम/बी0एस0सी0(गणित/सांख्यिकी)/बी0ए0(गणित/सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री ।

(ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव : संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी ।

ग. उम्र सीमा :

लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए उम्र सीमा निम्नवत् रहेगी:–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए : 40 वर्ष

नोट:–आवेदकों के उम्र की गणना हेतु दिनांक 01.12.2016 की तिथि को Cutt Off Date निर्धारित किया गया है ।

घ. नियुक्ति की प्रक्रिया :

(I) जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी ।

(II) नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव, दक्षता परीक्षा (विषय ज्ञान एवं कम्प्यूटर ज्ञान) के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगा ।

लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की शर्तें:–

क. सामान्य शर्तें :

1. लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिये केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का पद रिक्त है, अतः केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आवेदन पत्र समर्पित कर

19/12/17

जिला पंचायत राज पदाधिकारी

उपायुक्त

गिरिडीह

सकते हैं । अन्य किसी कोटि के अभ्यर्थी यदि आवेदन पत्र समर्पित करते हैं तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा ।

2. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आवासीय/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो नियोजन अथवा सभी कार्यों के संदर्भ में निर्गत हो एवं जाति प्रमाण पत्र जो नियोजन अथवा सभी कार्यों के संदर्भ में निर्गत हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
3. चूँकि केवल झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाना है, अतः केवल झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थी ही आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं । यदि झारखण्ड राज्य से बाहर के अभ्यर्थी आवेदन पत्र समर्पित करते हैं तो उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा ।
4. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों को प्रारंभिक मेधा सूची के आधार पर दक्षता परीक्षा (विषय ज्ञान एवं कम्प्यूटर ज्ञान) के लिये आमंत्रित किया जायेगा ।
5. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा । पदों में एक साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे ।
6. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई (Tie) की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी । यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता में समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा ।
7. उच्चतर योग्यता एवं अनुभव के निर्धारण से संबंधित विवरणी गिरिडीह जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

ख. मूल्यांकन :

(III) आवेदक का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा:–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित योग्यता	अनुभव	दक्षता परीक्षा		योग
			विषय ज्ञान	कम्प्यूटर ज्ञान	
50	10	10	20	10	100

(IV) कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा, यानि 10 में से 4 अंक लाना अनिवार्य होगा।

(V) चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य होगा । इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे ।

ग. आवेदन समर्पित करने की प्रकिया :

(VI) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में भरे जायेंगे जिसे गिरिडीह जिला के आधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(VII) आवेदक को आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान करना होगा जो निम्नवत होगा:–

कमांक	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपेरटर	**300/-**	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए

(VIII) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान **उपायुक्त, गिरिडीह** के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किया जायगा जो गिरिडीह जिला में भुगतेय हो ।

(IX) आवेदन पत्र **उपायुक्त, गिरिडीह** को सम्बोधित निबंधिक डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही समर्पित किये जायेंगे एवं आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि **दिनांक 02.08.2017 तक** निर्धारित की गई है । आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा । लिफाफे पर आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पत्राचार पता तथा आवेदित पद का नाम साफ–साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए ।

19/7/17

जिला पचायत राज पदाधिकारी
गिरिडीह

19.7.17

19/07/17

उपायुक्त
गिरिडीह

(X) निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र/अधूरा भरा आवेदन पत्र/आवेदन शुल्क रहित आवेदन पत्र/वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं रहने पर आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

घ. संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त्त निम्नवत होगी :–

(i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी । कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा । नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी । नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी ।

(ii) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी । इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे । परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी ।

(iii) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(iv) संविदा अवधि के नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा ।

(v) कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी ।

(vi) आवेदक को देय एकमुश्त वेतन के अंतर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इंटरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।

(vii) आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा । कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अंदर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अंतर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा ।

(viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा ।

(ix) नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा ।

ह0/-

उपायुक्त, गिरिडीह ।

ज्ञापांक....813.../जि0पं0 दिनांक 20-07-2017

प्रतिलिपिः–जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को इस सूचना की सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निर्देश है कि इस सूचना को सभी स्थनीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित । निर्देश है कि इस सूचना एवं संलग्न आवेदन पत्र के प्रपत्र को गिरिडीह जिला के आधिकारिक वेबसाईट www.giridih.nic.in पर अविलम्ब अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय ।

प्रतिलिपिः–उप विकास आयुक्त, गिरिडीह/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला लेखा पदाधिकारी, गिरिडीह/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(पंचायती राज), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

19/07/17

उपायुक्त, गिरिडीह ।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
गिरिडीह

19.7.17

8

लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर पद हेतु अनिवार्य योग्यता, उच्चतर योग्यता एवं अनुभव हेतु प्राप्तांक का निर्धारण

क0सं0	योग्यता		निर्धारित प्राप्तांक
1	2	3	4
1	अनिवार्य योग्यता	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम / बी0एस0सी0(गणित / सांख्यिकी) / बी0ए0 (गणित / सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री । अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी, अर्थात् 45 प्रतिशत अंक निर्धारित किये जाते हैं ।	50 Marks
2	उच्चतर योग्यता	1. MCA/ 2. B.Tec(Computer Science Engineer)/ 3. B.E. Computer Science/ 4. Msc. IT/ 5. BE(IT)/ 6. B.Tech(IT) or equivalent	05 Marks
		1. M.Tec/ 2. Other Higher Qualification or equivatent/ 3. एम0कॉम / एम0एस0सी0(गणित / सांख्यिकी) / एम0ए0 (गणित / सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री ।	10 Marks
3	अनुभव	किसी सरकारी कार्यालय / विभाग या PSU में कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य करने का अनुभव	प्रति वर्ष के लिये 01 Marks (अधिकतम 05 वर्षों का अनुभव मान्य होगा)
		किसी सरकारी कार्यालय / विभाग या PSU में लेखा लिपिक के कार्य करने का अनुभव	प्रति वर्ष के लिये 01 Marks (अधिकतम 05 वर्षों का अनुभव मान्य होगा)

D.P.R.O. Giridih — DIO,NIC Giridih — Ex. En. Spl,Divi. Giridih — D.S.O. Giridih — जिला लेखा पदा0 गिरिडीह — Director DRDA Giridih — D.D.C. Giridih. — अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति सह उपायुक्त, गिरिडीह

Application formet

Self-Attested Photo

1. Post Applied for :-
2. Name of the Candidate :-
3. Father's Name :-
4. Nationality :-
5. State in which Domiciled/Resident :-
6. Address
   (a) Permanent Address :-
   (b) Correspondence Address :-
7. E-Mail Address :-
8. Mobile No. :-
9. Caste :-
10. Age :-
11. Education Qualification/Desirable Qualification

Name of Exam	University/Institute	Passing Year	Percentage

12. Experience

Name of Organization	Designation	From	To

Note :- Documents related to Age, Proof of Domicile/Residence, Caste, Qualification, Experience Should be self attested and attached.

Declaration

I hereby declare that all the statement information furnished & papers attached are true to best of my knowledge and belief. I have not been prosecuted or punished by any Court of law for any offence or involved/named/charge sheeted in any criminal or like case. If any of the information furnished by the undersigned is formed to be false, my candidature be deemed void and be appropriately penalized.

Signature of the applicant